Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 158-2017/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2017
(12 भाद्र, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16).	371–372
	2. हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20).	373
	3. हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21).	375
	4. हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन–भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22).	377
	5. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23). (केवल हिन्दी में)	379
भाग II	**अध्यादेश**	
	हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1)	29–30
	(केवल हिन्दी में)	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2017

संख्या लैज.16/2017.– चौधरी रणबीर सिंह यूनिवॅ:स्–इटि, जीन्द (ॲमे'न्डमॅन्ट ऐन्ड वॅलिडेशॅन) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 16 अगस्त, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द अधिनियम, 2014,

को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की प्रस्तावना का संशोधन।

2. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी, प्रबन्धन अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में विशेष बल सहित उच्चतर शिक्षा को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए तथा इन क्षेत्रों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जीन्द में विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु अधिनियम ।"।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"4. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग.– (1) क्षेत्र जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, की सीमाएं ऐसी होंगी जो सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें:

परन्तु विभिन्न संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) तत्समय लागू किसी राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थित कोई महाविद्यालय ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा स्वीकृत किया गया समझा जाएगा तथा किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से किसी भी रूप में सहयुक्त अथवा स्वीकृत नहीं रहेगा तथा विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं।"।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (भ) का लोप कर दिया जाएगा।

विधिमान्यकरण।

6. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं होते हुए भी, इस संशोधित अधिनियम के प्रारम्भ से मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, 7 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ अवधि के दौरान की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार की गई तथा सदैव की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी तथा इस आधार पर किसी विधि न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं होगी।

कुलदीप जैन,
सचिव,हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55610—L.R.—H.G.P., Chd.